

I-19/50/2022-डब्ल्यू एंड एम अनुभाग (ई-28602)
भारत सरकार सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग
विधिक मापविज्ञान अनुभाग

कृषि भवन , नई दिल्ली
दिनांक : 08.10.2026

सेवा में ,
विधिक माप विज्ञान नियंत्रक
सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

विषय: आयातित पूर्व-पैकबंद वस्तुओं के संबंध में विधिक माप विज्ञान (पैकज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के अंतर्गत अनिवार्य घोषणाएं लगाने से संबंधित प्रावधानों का एकसमान कार्यान्वयन।

महोदय/ महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को ऊपरोक्त विषय का संदर्भ देने और विधिक मापविज्ञान (पैकज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 4 की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश दिया गया है, जिसे सा.का.नि 418(अ) दिनांक 29 मई, 2026 के माध्यम से बदला गया था, जो आयातित पूर्व-पैकबंद वस्तुओं पर अनिवार्य घोषणा करने के तरीके और स्थान से जुड़ा है।

2. यह संशोधन वैध व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से किया गया है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि विधिक मापविज्ञान (पैकज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के प्रावधानों का अनुपालन हो। इसका उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण से समझौता किए बिना व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना भी है।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि विधिक मापविज्ञान (पैकज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के अंतर्गत अनिवार्य घोषणाएं घरेलू उपभोग के लिए माल की निकासी से पहले और ऐसे पैकजों को घरेलू बाजार में बिक्री, वितरण या डिलीवरी के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले की जानी चाहिए।

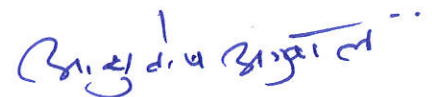
4. एकसमान कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, सभी क्षेत्रीय अधिकारी निम्नलिखित का पालन करें:

(i) अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (ईओ) टियर 2 या टियर 3 का दर्जा प्राप्त आयातकों के लिए, अनिवार्य घोषणाएं उनके स्वीकृत आयातक परिसरों पर की जा सकती हैं, जहाँ भी लागू सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के निर्देशों के तहत ऐसी सुविधा की अनुमति है।

(ii) अन्य सभी आयातकों के लिए, घरेलू उपभोग के लिए निकासी से पूर्व, अनिवार्य घोषणाएं केवल सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 57 के अंतर्गत सीमा शुल्क बॉण्डेड गोदाम में या धारा 58 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त आयातक के बॉण्डेड गोदाम में ही चिपकाई जाएंगी, जैसा कि विधिक मापविज्ञान (पैकज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 4 के अधीन अनुमत है।

5. आपके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी विधिक माप विज्ञान अधिकारियों को यह सलाह देने का अनुरोध किया जाता है कि वे इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें, जिससे देश भर में एकरूपता बनी रहे, व्यापार में बेवजह की मुश्किलों से बचा जा सके और उपभोक्ता हितों की रक्षा हो सके।

भवदीय,



(आशुतोष अग्रवाल)
निदेशक (विधिक माप विज्ञान)
दूरभाष: 011-23389489
ईमेल: dirwm-ca@nic.in

प्रतिलिपि : सभी हितधारकों को।